Regarding disposal of claims under Pradhan Mantri Fasal Bima Scheme-Laid

श्री राहुल कस्वां **(चुरू) :** मेरे संसदीय क्षेत्र चूरु में खरीफ 2023 की फसल के खराबे को लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा के क्लेम पर बीमा कंपनी के द्वारा लगभग 716 इन्श्योरेन्स यूनिट के क्रॉप कटाई डाटा पर आपति लगाई गई है । राजस्थान सरकार द्वारा एक साल बीत जाने के बावजूद भी इस मामले को सुनने हेतु राज्य स्तरीय शिकायत समिति का गठन तक नहीं किया गया है । खरीफ 2023 हेतु लगभग 170 करोड़ से अधिक का बकाया अभी भी किसानों को नही दिया गया है । बीमा कंपनियों द्वारा बार बार इस प्रकार आपति लगाकर किसानों का शोषण किये जाने का कार्य किया जा रहा है । राज्य सरकार द्वारा इन आपतियों के निस्तारण में समय लगाया जा रहा हैं । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रावधान है कि बीमा क्लेम देने में देरी होने पर बीमा कम्पनी ब्याज के साथ बीमा क्लेम भुगतान करेगी । राजस्थान सरकार को निर्देशित करते हुए मेरे लोकसभा क्षेत्र के किसानों का खरीफ 2023 की फसल पर बीमा कंपनी द्वारा लगाई आपतियों के निस्तारण हेतु राज्य स्तरीय शिकायत समिति का गठन किया जावे और बीमा क्लेम जारी करने का निर्देश दिया जायें ।